बिड संख्या/Bid Number: GEM/2026/B/7313376
दिनांक /Dated: 03-03-2026

बिड दस्तावेज़ / Bid Document

बिड विवरण/Bid Details	
बिड बंद होने की तारीख/समय /Bid End Date/Time	31-03-2026 12:00:00
बिड खुलने की तारीख/समय /Bid Opening Date/Time	31-03-2026 12:30:00
बिड पेशकश वैधता (बंद होने की तारीख से)/Bid Offer Validity (From End Date)	180 (Days)
मंत्रालय/राज्य का नाम/Ministry/State Name	Ministry Of Commerce And Industry
विभाग का नाम/Department Name	Department Of Commerce
संगठन का नाम/Organisation Name	Spices Board
कार्यालय का नाम/Office Name	Head Office
वस्तु श्रेणी /Item Category	Custom Bid for Services - Printing and forwarding of Spice India magazines
समान श्रेणी/Similar Category	• Paper-based Printing Services
अनुबंध अवधि /Contract Period	1 Year(s)
बिडर का न्यूनतम औसत वार्षिक टर्नओवर (3 वर्षों का) /Minimum Average Annual Turnover of the bidder (For 3 Years)	25 Lakh (s)
उन्हीं/समान सेवा के लिए अपेक्षित विगत अनुभव के वर्ष/Years of Past Experience Required for same/similar service	3 Year (s)
एमएसएमई के लिए अनुभव के वर्षों और टर्नओवर से छूट प्रदान की गई है/MSE Relaxation for Years of Experience and Turnover	No
स्टार्टअप के लिए अनुभव के वर्षों और टर्नओवर से छूट प्रदान की गई है /Startup Relaxation for Years of Experience and Turnover	No
विक्रेता से मांगे गए दस्तावेज़/Document required from seller	Experience Criteria,Bidder Turnover,Certificate (Requested in ATC),Additional Doc 1 (Requested in ATC),Additional Doc 2 (Requested in ATC),Additional Doc 3 (Requested in ATC),Additional Doc 4 (Requested in ATC) *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer

बिड विवरण/Bid Details	
क्या आप निविदाकारों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज़ों को निविदा में भाग लेने वाले सभी निविदाकारों को दिखाना चाहते हैं? संदर्भ मेनू है/Do you want to show documents uploaded by bidders to all bidders participated in bid?	Yes (Documents submitted as part of a clarification or representation during the tender/bid process will also be displayed to other participated bidders after log in)
बिड लगाने की समय सीमा स्वतः नहीं बढ़ाने के लिए आवश्यक बिड की संख्या। / Minimum number of bids required to disable automatic bid extension	1
दिनों की संख्या, जिनके लिए बिड लगाने की समय-सीमा बढ़ाई जाएगी। / Number of days for which Bid would be auto-extended	3
ऑटो एक्सटेंशन अधिकतम कितनी बार किया जाना है। / Number of Auto Extension count	1
बिड से रिवर्स नीलामी सक्रिय किया/Bid to RA enabled	No
बिड का प्रकार/Type of Bid	Two Packet Bid
तकनीकी मूल्यांकन के दौरान तकनीकी स्पष्टीकरण हेतु अनुमत समय /Time allowed for Technical Clarifications during technical evaluation	2 Days
अनुमानित बिड मूल्य / Estimated Bid Value	3500000
मूल्यांकन पद्धति/Evaluation Method	Total value wise evaluation
मूल्य दर्शाने वाला वित्तीय दस्तावेज ब्रेकअप आवश्यक है / Financial Document Indicating Price Breakup Required	Yes
मध्यस्थता खंड/Arbitration Clause	No
सुलह खंड/Mediation Clause	No

ईएमडी विवरण/EMD Detail

एडवाईजरी बैंक/Advisory Bank	PUNJAB NATIONAL BANK
ईएमडी राशि/EMD Amount	50000

ईपीबीजी विवरण /ePBG Detail

आवश्यकता/Required	No

(a). जेम की शर्तों के अनुसार ईएमडी छूट के इच्छुक बिडर को संबंधित केटेगरी के लिए बिड के साथ वैध समर्थित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने है। एमएसई केटेगरी के अंतर्गत केवल वस्तुओं के लिए विनिर्माता तथा सेवाओं के लिए सेवा प्रदाता ईएमडी से छूट के पात्र हैं। व्यापारियों को इस नीति के दायरे से बाहर रखा गया है।/EMD EXEMPTION: The bidder seeking EMD exemption, must submit the valid supporting document

for the relevant category as per GeM GTC with the bid. Under MSE category, only manufacturers for goods and Service Providers for Services are eligible for exemption from EMD. Traders are excluded from the purview of this Policy.

(b).ईएमडी और संपादन जमानत राशि, जहां यह लागू होती है, लाभार्थी के पक्ष में होनी चाहिए। / EMD & Performance securityshould be in favour of Beneficiary, wherever it is applicable.

लाभार्थी /Beneficiary :

Secretary
Spices Board, Sugandha Bhavan, Kochi-682025
(Secretary Spices Board)

बोली विभाजन लागू नहीं किया गया/ Bid splitting not applied.

एमआईआई अनुपालन/MII Compliance

एमआईआई अनुपालन/MII Compliance	Yes

एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference

एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference	Yes
सूक्ष्म और लघु उद्यम मूल उपकरण निर्माताओं को खरीद में प्राथमिकता, यदि उनका मूल्य L1+X% तक की सीमा में हो / Purchase Preference to MSE OEMs available upto price within L1+X%	15

1. The minimum average annual financial turnover of the bidder during the last three years, ending on 31st March of the previous financial year, should be as indicated above in the bid document. Documentary evidence in the form of certified Audited Balance Sheets of relevant periods or a certificate from the Chartered Accountant / Cost Accountant indicating the turnover details for the relevant period shall be uploaded with the bid. In case the date of constitution / incorporation of the bidder is less than 3-year-old, the average turnover in respect of the completed financial years after the date of constitution shall be taken into account for this criteria.
2. Years of Past Experience required: The bidder must have experience for number of years as indicated above in bid document (ending month of March prior to the bid opening) of providing similar type of services to any Central / State Govt Organization / PSU. Copies of relevant contracts / orders to be uploaded along with bid in support of having provided services during each of the Financial year.
3. Purchase preference to Micro and Small Enterprises (MSEs): Purchase preference will be given to MSEs as defined in Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012 dated 23.03.2012 issued by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Ministry. If the bidder wants to avail the Purchase preference for services, the bidder must be the Service provider of the offered Service. Relevant documentary evidence in this regard shall be uploaded along with the bid in respect of the offered service. If L-1 is not an MSE and MSE Service Provider (s) has/have quoted price within L-1+ 15% of margin of purchase preference /price band as defined in the relevant policy, then 100% order quantity will be awarded to such MSE bidder subject to acceptance of L1 bid price. The buyers are advised to refer to the OM_No.1_4_2021_PPD_dated_18.05.2023 for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017. Benefits of MSE will be allowed only if the credentials of the service provider are validated on-line in GeM profile as well as validated and approved by the Buyer after evaluation of submitted documents.
4. If L-1 is not an MSE and MSE Service Provider (s) has/have quoted price within L-1+ 15% of margin of purchase preference /price band as defined in the relevant policy, then 100% order quantity will be awarded to such MSE bidder subject to acceptance of L1 bid price.
5. Estimated Bid Value indicated above is being declared solely for the purpose of guidance on EMD amount and for determining the Eligibility Criteria related to Turn Over, Past Performance and Project / Past Experience etc. This has no relevance or bearing on the price to be quoted by the bidders and is also not going to have any impact on bid participation. Also this is not going to be used as a criteria in determining reasonableness of quoted prices which would be determined by the buyer based on its own assessment of reasonableness and

based on competitive prices received in Bid / RA process.

एक्सेल में अपलोड किए जाने की आवश्यकता /Excel Upload Required :

Financial bid-price breakup - 1772514487.xlsx

अतिरिक्त योग्यता /आवश्यक डेटा/Additional Qualification/Data Required

Scope of Work:1772514505.pdf

Payment Terms:1772514508.pdf

GEM Availability Report (GAR):1772514511.pdf

Undertaking of Competent Authority is mandatory to create Custom Bid for Services. Please download standard format document and upload:1772514516.pdf

Pre Bid Detail(s)

मूल्य भिन्नता खंड दस्तावेज़/Pre-Bid Date and Time	प्री-बिड स्थान/Pre-Bid Venue
09-03-2026 14:00:00	The link for pre-bid meeting scheduled at 02.30 PM on 09th March 2026 is https://spices.webex.com/spices/j.php?MTID=mfbb6e7f2bd1f1f3dbca732868b5a3c77

Custom Bid For Services - Printing And Forwarding Of Spice India Magazines (1)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

विवरण/ Specification	मूल्य/ Values
कोर / Core	
Description /Nomenclature of Service Proposed for procurement using custom bid functionality	Printing and forwarding of Spice India magazines
Regulatory/ Statutory Compliance of Service	YES
Compliance of Service to SOW, STC, SLA etc	YES
एडऑन /Addon(s)	

क्रेता द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य/Minimum Floor Price defined by Buyer

क्रेता द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य/Minimum Floor Price defined by Buyer	No

अतिरिक्त विशिष्टि दस्तावेज़ /Additional Specification Documents

---

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	Quantity	अतिरिक्त आवश्यकता /Additional Requirement
1	Mohammed Shameer Cheriyath	682025,Sugandha Bhavan N.H.By Pass, Palarivattom.P.O Cochin Kerala, India GSTIN - 32AAIAS3118C1Z0	Project / Lumpsum Based	N/A

क्रेता द्वारा जोड़ी गई बिड की विशेष शर्तें/Buyer Added Bid Specific Terms and Conditions

1. **Generic**

   OPTION CLAUSE: The buyer can increase or decrease the contract quantity or contract duration up to 25 percent at the time of issue of the contract. However, once the contract is issued, contract quantity or contract duration can only be increased up to 25 percent. Bidders are bound to accept the revised quantity or duration

2. **Buyer Added Bid Specific ATC**

   Buyer uploaded ATC document Click here to view the file.

अस्वीकरण/Disclaimer

The additional terms and conditions have been incorporated by the Buyer after approval of the Competent Authority in Buyer Organization, whereby Buyer organization is solely responsible for the impact of these clauses on the bidding process, its outcome, and consequences thereof including any eccentricity / restriction arising in the bidding process due to these ATCs and due to modification of technical specifications and / or terms and conditions governing the bid. If any clause(s) is / are incorporated by the Buyer regarding following, the bid and resultant contracts shall be treated as null and void and such bids may be cancelled by GeM at any stage of bidding process without any notice:-

1. Definition of Class I and Class II suppliers in the bid not in line with the extant Order / Office Memorandum issued by DPIIT in this regard.
2. Seeking EMD submission from bidder(s), including via Additional Terms & Conditions, in contravention to exemption provided to such sellers under GeM GTC.
3. Publishing Custom / BOQ bids for items for which regular GeM categories are available without any Category item bunched with it.
4. Creating BoQ bid for single item.
5. Mentioning specific Brand or Make or Model or Manufacturer or Dealer name.
6. Mandating submission of documents in physical form as a pre-requisite to qualify bidders.
7. Floating / creation of work contracts as Custom Bids in Services.
8. Seeking sample with bid or approval of samples during bid evaluation process. (However, in bids for attached categories, trials are allowed as per approved procurement policy of the buyer nodal Ministries)
9. Mandating foreign / international certifications even in case of existence of Indian Standards without specifying equivalent Indian Certification / standards.
10. Seeking experience from specific organization / department / institute only or from foreign / export experience.
11. Creating bid for items from irrelevant categories.
12. Incorporating any clause against the MSME policy and Preference to Make in India Policy.
13. Reference of conditions published on any external site or reference to external documents/clauses.
14. Asking for any Tender fee / Bid Participation fee / Auction fee in case of Bids / Forward Auction, as the case may be.

15. Any ATC clause in contravention with GeM GTC Clause 4 (xiii)(h) will be invalid. In case of multiple L1 bidders against a service bid, the buyer shall place the Contract by selection of a bidder amongst the L-1 bidders through a Random Algorithm executed by GeM system.
16. Buyer added ATC Clauses which are in contravention of clauses defined by buyer in system generated bid template as indicated above in the Bid Details section, EMD Detail, ePBG Detail and MII and MSE Purchase Preference sections of the bid, unless otherwise allowed by GeM GTC.
17. In a category based bid, adding additional items, through buyer added additional scope of work/ additional terms and conditions/or any other document. If buyer needs more items along with the main item, the same must be added through bunching category based items or by bunching custom catalogs or bunching a BoQ with the main category based item, the same must not be done through ATC or Scope of Work.

Further, if any seller has any objection/grievance against these additional clauses or otherwise on any aspect of this bid, they can raise their representation against the same by using the Representation window provided in the bid details field in Seller dashboard after logging in as a seller within 4 days of bid publication on GeM. Buyer is duty bound to reply to all such representations and would not be allowed to open bids if he fails to reply to such representations.

All GeM Sellers/Service Providers shall ensure full compliance with all applicable labour laws, including the provisions, rules, schemes and guidelines under the four Labour Codes i.e. the Code on Wages, 2019; the Industrial Relations Code, 2020; the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020; and the Code on Social Security, 2020 as and when notified and brought into force by the Government of India.

For all provisions of the Labour Codes that are pending operationalisation through rules, schemes or notifications, the corresponding provisions of the pre-existing labour enactments (such as The Minimum Wages Act, 1948, The Payment of Wages Act, 1936, The Payment of Bonus Act, 1965, The Equal Remuneration Act, 1976, The Payment of Gratuity Act, 1972, etc. and relevant State Rules) shall continue to remain applicable.

The Seller/ Service Providers shall, therefore, be responsible for ensuring compliance under:

- **All notified and enforceable provisions of the new Labour Codes as mentioned hereinabove; and**
- **All operative provisions of the erstwhile Labour Laws until their complete substitution.**

All obligations relating to wages, social security, safety, working conditions, industrial relations etc. and any other statutory requirements shall be strictly met by the Seller/ Service Provider. Any non-compliance shall constitute a breach of the contract and shall entitle the Buyer to take appropriate action in accordance with the contract and applicable law.

This Bid is governed by the सामान्य नियम और शर्तें/General Terms and Conditions, conditions stipulated in Bid and Service Level Agreement specific to this Service as provided in the Marketplace. However in case if any condition specified in सामान्य नियम और शर्तें/General Terms and Conditions is contradicted by the conditions stipulated in Service Level Agreement, then it will over ride the conditions in the General Terms and Conditions.

जेम की सामान्य शर्तों के खंड 26 के संदर्भ में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बिडर से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश का कोई भी बिडर इस निविदा में बिड देने के लिए तभी पात्र होगा जब वह बिड देने वाला सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत हो।बिड में भाग लेते समय बिडर को इसका अनुपालन करना होगा और कोई भी गलत घोषणा किए जाने व इसका अनुपालन न करने पर अनुबंध को तत्काल समाप्त करने और कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई का आधार होगा।/In terms of GeM GTC clause 26 regarding Restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India, any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered with the Competent Authority. While participating in bid, Bidder has to undertake compliance of this and any false declaration and non-compliance of this would be a ground for immediate termination of the contract and further legal action in accordance with the laws.

---धन्यवाद/Thank You---

स्पाइसेस बोर्ड
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत सरकार
सुगंधा भवन, एन.एच. बाईपास
पालारिवट्टम पी .ओ., कोच्ची - 682025 केरल
फ़ोन : 91-484-2333615
ई-मेल : publicity.sb-ker@spicesboard.gov.in,
वेबसाइट : www.indianspices.com

स्पाइस इंडिया पत्रिका के मुद्रण तथा प्रेषण सेवाओं के लिए निविदा आमंत्रण सूचना

संदर्भ संख्या: PUB/0077/2024-PUBLICITY
दिनाँक : 03 मार्च 2026

जारीकर्ता प्राधिकरी:
निदेशक (विपणन)
स्पाइसेस बोर्ड भारत
सहायक निदेशक (प्रचार)
स्पाइसेस बोर्ड,
सुगंधा भवन, एन.एच. बाईपास,
पालारिवट्टम पी.ओ., कोचीन - 682025, केरल, भारत
फ़ोन: 0484-2333610-615
ईमेल: publicity.sb-ker@spicesboard.gov.in

विषय-सूची

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ
1	परिचय	3
2	**निविदा सूचना**	4
3	कार्य का दायरा	5
4	कार्य अवधि	7
5	न्यूनतम पात्रता मानदंड	7
6	बोली में सम्मिलित दस्तावेज	9
7	बोलियों का प्रस्तुतिकरण	10
8	बोलियों का मूल्यांकन	13
9	नियम और शर्तें	19
10	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को समर्थन/प्राथमिकता	23
11	भुगतान की शर्तें	23
12	अस्वीकरण(डिस्क्लेमर)	24
13	विवाद निपटान	24
14	लागू कानून और क्षेत्राधिकार	25
15	निविदा की महत्वपूर्ण तिथियाँ	25
16	अनुलग्नक I - बोलीदाता का विवरण	26
17	अनुलग्नक II - घोषणा-पत्र (अंडरटेकिंग)	27
18	अनुलग्नक III - बोली सुरक्षा घोषणा	28

1. परिचय

स्पाइसेस बोर्ड(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार) भारतीय मसालों(स्पाइसेस) के विकास तथा उनके वैश्विक प्रचार-प्रसार के लिए एक प्रमुख संगठन है। यह बोर्ड भारतीय निर्यातकों और विदेशों के आयातकों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय कड़ी के रूप में कार्य करता है। भारतीय मसालों की उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड उद्योग के प्रत्येक क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए विभिन्न गतिविधियों का संचालन करता है।

भारतीय मसालों के लिए सरकारी नियामक तथा निर्यात प्रोत्साहन निकाय, स्पाइसेस बोर्ड का मुख्यालय कोच्ची में स्थित है। वर्ष 1987 में स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम, 1986 के अंतर्गत स्थापित इस बोर्ड को छोटी तथा बड़ी इलायची के उत्पादन एवं विकास तथा अधिसूचित 53 मसालों के निर्यात संवर्धन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

स्पाइसेस बोर्ड की बहुआयामी गतिविधियों में निर्यात संवर्धन, अनुसंधान, विकास, छोटी एवं बड़ी इलायची के घरेलू विपणन का विनियमन, सभी मसालों के कटाई-पश्चात सुधार, जैविक उत्पादन को बढ़ावा देना, मसालों का प्रसंस्करण एवं प्रमाणन, पूर्वोत्तर क्षेत्र में मसालों(स्पाइसेस) का विकास, गुणवत्ता मूल्यांकन सेवाएँ इत्यादि शामिल हैं। बोर्ड विभिन्न योजनाओं जैसे व्यापार संवर्धन, ब्रांड संवर्धन, अनुसंधान एवं उत्पाद विकास इत्यादि के माध्यम से मसाला निर्यात को प्रोत्साहित करता है। विश्व बाजार में भारतीय मसालों और मूल्य संवर्धित मसाला उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनों में भी सहभागिता करता है।

निर्यातकों एवं आयातकों के हित में विभिन्न माध्यमों में प्रचारात्मक तथा शैक्षिक सामग्री का निर्माण स्पाइसेस बोर्ड की प्रमुख गतिविधियों में से एक है। बोर्ड स्पाइसेस इंडिया पत्रिका का अंग्रेज़ी, मलयालम, तमिल, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं में मासिक प्रकाशन करता है। इसके अतिरिक्त मसाला(स्पाइसेस) उद्योग के लाभ के लिए बोर्ड द्वारा विभिन्न रिपोर्टें, पुस्तिकाएँ, ब्रोशर इत्यादि भी प्रकाशित किए जाते हैं।

2. निविदा सूचना

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्पाइसेस बोर्ड द्वारा बोर्ड की 'स्पाइस इंडिया' पत्रिका के मुद्रण एवं प्रेषण कार्य के लिए तीन या अधिक वर्षों का अनुभव रखने वाले प्रतिष्ठित मुद्रणालयों से ई-निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं।

तकनीकी आवश्यकताओं का विवरण तथा नियम एवं शर्तों वाला निविदा दस्तावेज़ गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (www.gem.gov.in), सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (www.eprocure.gov.in), और स्पाइसेस बोर्ड की वेबसाइट (www.indianspices.com) पर उपलब्ध है। निविदाएँ केवल गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (www.gem.gov.in) के ज़रिए ऑनलाइन जमा करने होंगे। 09 मार्च 2026 को प्रात:

अपराह्न 2.30 बजे होने वाली प्री-बिड मीटिंग का लिंक: https://spices.webex.com/spices/j.php?MTID=mfbb6e7f2bd1f1f3dbca732868b5a3c77है।

ई-मार्केटप्लेस (जेम) के माध्यम से ऑनलाइन बोलियाँ जमा करने की अंतिम तिथि **31 मार्च 2026 को दोपहर 12:00 बजे** है। सभी बोलियाँ आवश्यक दस्तावेजों सहित, निविदा दस्तावेज़ में निर्दिष्ट विनिर्देशों एवं नियम-शर्तों के अनुसार **पीडीएफ प्रारूप में अपलोड कर केवल ऑनलाइन** जमा की जानी चाहिए।

बोली को दो अलग-अलग भागों अर्थात् **तकनीकी बोली** तथा **वित्तीय बोली** में ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है। जमा किए गए दस्तावेज़ों के साथ वित्तीय बोली का कोई भी उल्लेख पाए जाने पर बोली को अनिवार्य रूप से अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

तकनीकी बोली **31 मार्च 2026 को अपराह्न 12:30 बजे** स्पाइसेस बोर्ड के मुख्यालय में खोली जाएगी। जिन विक्रेताओं की तकनीकी बोलियाँ योग्य पाई जाएँगी, केवल उन्हीं की वित्तीय बोलियाँ बाद में खोली जाएँगी तथा इसकी सूचना संबंधित योग्य विक्रेताओं को अलग से दी जाएगी।

3. कार्य का दायरा

स्पाइसेस बोर्ड द्वारा बोर्ड की 'स्पाइस इंडिया' पत्रिका के मुद्रण एवं प्रेषण कार्य के लिए तीन या अधिक वर्षों का अनुभव रखने वाले प्रतिष्ठित मुद्रणालयों से ई-निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं।

3.1 प्रकाशन का विवरण :

'स्पाइस इंडिया' पत्रिका अंग्रेज़ी, मलयालम, तमिल, कन्नड़ तथा हिंदी भाषाओं में मासिक रूप से प्रकाशित की जाती है।

विनिर्देश

i. आकार : 21 × 28 से.मी. / 1/4 डेमी, मुद्रण क्षेत्र 17.5 से.मी. × 21.5 से.मी.

ii.*पेपर : अंदरूनी पृष्ठ - 90 जीएसएम आर्ट पेपर, आवरण पृष्ठ - 100 जीएसएम आर्ट पेपर

iii. **मल्टी-कलर मुद्रण**

iv. बाइंडिंग: सेंटर स्टेपलिंग

v. **पृष्ठों की संख्या** : पत्रिका 32 पृष्ठों (28 आंतरिक पृष्ठ तथा 4 आवरण पृष्ठ) तथापि प्रत्येक अंक के अनुसार इसमें परिवर्तन हो सकता है।

3.2 स्पाइस इंडिया पत्रिका का प्रारूप

• **भाषाएँ एवं आवृत्ति:** अंग्रेज़ी, मलयालम, तमिल, कन्नड़ तथा हिंदी भाषाओं में मासिक।

• **आकार:** 21 × 28 सेमी / डेमी 1/4, मुद्रण क्षेत्र: 17.5 सेमी × 21.5 सेमी।

• अनुबंध अवधि के दौरान दो या तीन फोल्ड वाले गेट कवर जैसे किसी भी अतिरिक्त प्रावधान को भी शामिल किया जाएगा।

• स्पाइसेस बोर्ड द्वारा 'स्पाइस इंडिया' के प्रत्येक अंक के लिए उच्च-रिज़ॉल्यूशन, प्रेस-अनुकूल प्रारूपों (जैसे PDF/X-1a या PDF/X-4 अथवा बोर्ड द्वारा निर्धारित किसी अन्य प्रारूप) में प्रिंट-रेडी फाइलें उपलब्ध कराई जाएंगी। ये फाइलें CMYK रंग मोड, एम्बेडेड फॉन्ट, उपयुक्त ब्लीड, क्रॉप मार्क्स तथा प्रिंट मार्जिन सहित होंगी। प्रिंटर को इन प्रिंट-रेडी फाइलों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर, बोर्ड के निर्देशानुसार पत्रिका का मुद्रण एवं प्रेषण सुनिश्चित करना होगा।

• पत्रिका की सदस्यता प्रतियाँ नीचे उल्लिखित प्रेषण तिथियों के अनुसार **कोच्ची पीएसओ, थेवरा, एर्नाकुलम** में वितरित की जानी चाहिए।

डाक प्रेषण की तिथियाँ*

1.	स्पाइस इंडिया अंग्रेजी	पिछले महीने की 10 तारीख
2.	स्पाइस इंडिया मलयालम	पिछले महीने की 20 तारीख
3.	स्पाइस इंडिया कन्नड़	पिछले महीने की 20 तारीख
4.	स्पाइस इंडिया तमिल	पिछले महीने की 20 तारीख
5.	स्पाइस इंडिया हिंदी	पिछले महीने की 20 तारीख

*** डाक प्रेषण तिथियाँ भारतीय डाक प्राधिकरणों की सुविधा के अनुसार परिवर्तित की जा सकती हैं और अनुबंधित मुद्रणालय को ऐसे परिवर्तनों को स्वीकार करना होगा।**

3.2.1 प्रत्येक माह जर्नल्स के प्रेषण के संबंध में मुद्रक द्वारा निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की जा सकती हैं:

• सदस्यों के पते प्रत्येक माह की 10 तारीख को ई-मेल द्वारा भेजे जाएंगे और मुद्रक को निर्दिष्ट तिथियों पर बोर्ड के संपादक से संपर्क बनाए रखना होगा।

• जर्नल्स को पते लिखे हुए लिफाफों (मैसूर क्राफ्ट पेपर लिफाफा) में डालने के बाद, उन्हें अग्रेषित करने से पूर्व पते की सूची के अनुसार शहर-वार तथा पीएसओ-वार छांटकर बंडलों में बांधा जाएगा। किसी विशेष बंडल में जर्नल्स की संख्या तथा संबंधित पीएसओ का नाम एक पर्ची पर अंकित कर बंडल के ऊपर प्रदर्शित किया जाएगा। *(उदाहरण: तिरुवनंतपुरम पीएसओ - 100 प्रतियाँ)*

• जर्नल के डाक प्रेषण के एक दिन पूर्व, मुद्रक को उपलब्ध कराई गई पते की सूची के आधार पर डाक द्वारा भेजी जाने वाली प्रतियों की कुल संख्या की सूचना बोर्ड के संपादक को देनी होगी। इस सूचना के पश्चात, संपादक द्वारा तीन कॉपी में जारी किया गया डाक चालान मुद्रक द्वारा प्राप्त किया जाएगा और डाक प्रेषण के समय संबंधित पीएसओ को नियमित रूप से और बिना किसी चूक के सौंपा जाएगा।

• बोर्ड द्वारा पत्रिकाओं के प्रेषण हेतु आवश्यक डाक टिकटों की व्यवस्था की जाएगी। मुद्रक को बोर्ड से आवश्यक डाक टिकट प्राप्त कर प्रत्येक लिफाफे पर निर्धारित डाक शुल्क के अनुसार टिकट चिपकाने होंगे, उसके पश्चात पत्रिकाओं को इंडिया पोस्ट के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा।

• जर्नल के डाक प्रेषण के दिन सभी बंडलों को परिवहन कर कोच्ची पीएसओ, थेवरा, एर्नाकुलम में पहुँचाकर जमा करना होगा।

• वितरण के पश्चात, पीएसओ द्वारा जारी डाक चालान की हस्ताक्षरित डुप्लीकेट प्रति अनिवार्य रूप से बोर्ड के संपादक के पास जमा की जाएगी।

• जर्नल्स का डाक प्रेषण मुद्रक द्वारा शनिवार को भी किया जा सकता है। यदि डाक प्रेषण की तिथि रविवार या किसी अन्य सामान्य अवकाश पर पड़ती है, तो जर्नल्स अगले कार्यदिवस पर पीएसओ में जमा किए जा सकते हैं।

• यदि मुद्रक की किसी भी प्रकार की त्रुटि के कारण निर्दिष्ट तिथियों पर प्रतियों का डाक प्रेषण नहीं किया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप होने वाले अतिरिक्त व्यय जैसे मजदूरी, अतिरिक्त डाक शुल्क आदि का वहन मुद्रक द्वारा ही किया जाएगा।

4. कार्य अवधि

मुद्रण कार्य प्रारंभिक रूप से **1 (एक) वर्ष** की अवधि के लिए लागू रहेगा। एजेंसी के संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर तथा पारस्परिक सहमति होने पर इसे **उसी नियम एवं शर्तों के साथ अधिकतम दो (2) वर्ष की अतिरिक्त अवधि** के लिए बढ़ाया जा सकता है।

5. न्यूनतम पात्रता मानदंड

एजेंसी/फर्म/कंपनी को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य होगा:

1. निविदा में भाग लेने वाला मुद्रक (जिसे इसके पश्चात 'वेंडर' कहा जाएगा) प्रतिष्ठित होना चाहिए और उसके अपने प्रेस में पुस्तकों और पत्रिकाओं के मुद्रण एवं प्रकाशन से पिछले दो वित्तीय वर्षों (वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25) में किसी एक वर्ष का न्यूनतम वित्तीय कारोबार 25(पच्चीस) लाख रुपये होना आवश्यक है।
2. वेंडर के अपने प्रेस में पुस्तकों/सिरियल प्रकाशनों (समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, शैक्षणिक जर्नल, व्यापार जर्नल आदि)/सामयिक प्रकाशनों के मुद्रण और वितरण में न्यूनतम तीन वर्षों का अनुभव होना चाहिए।
3. पिछले तीन वर्षों में, वेंडर ने अपने प्रेस में प्रत्येक कार्य आदेश के अंतर्गत 1000 से अधिक प्रतियों वाले सरकारी, पीएसयू या अन्य नियमित निजी पत्रिकाओं के मुद्रण के कम से कम तीन (3) कार्य आदेश पूरे किए होने चाहिए।
4. वेंडर के पास कर पंजीकरण होना अनिवार्य है।
5. बोलीदाता को पूर्व में किसी भी सरकारी संगठन द्वारा **ब्लैकलिस्ट/पंजीकरण निरस्त** नहीं किया गया होना चाहिए। इस संबंध में फर्म/एजेंसी के **लेटरहेड पर एक घोषणा-पत्र** प्रस्तुत करना होगा।

क्र. सं.	**पात्रता मानदंड**	**आवश्यक समर्थन दस्तावेज़**

1	विक्रेता भारत में प्रासंगिक अधिनियमों के अंतर्गत **कंपनी, फर्म, एकल स्वामित्व, साझेदारी या सोसाइटी** के रूप में पंजीकृत होना चाहिए और भारत में **तीन वर्ष से अधिक** से अस्तित्व में होना चाहिए।	कंपनी पंजीकरण प्रमाणपत्र या आरओसी से पंजीकरण प्रमाणपत्र / साझेदारी समझौता (Partnership Deed) आदि।
2	विक्रेता(वेंडर) भारत में **उपयुक्त कर एवं अन्य प्रशासनिक प्राधिकरणों** के साथ पंजीकृत होना चाहिए।	**जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र** और **पैन कार्ड**।
3	वेंडर के अपने प्रेस में पुस्तकों और प्रकाशनों के मुद्रण से पिछले दो वर्षों (वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25) में किसी एक वर्ष का न्यूनतम वित्तीय कारोबार 25(पच्चीस) लाख रुपये या उससे अधिक होना चाहिए।	1. निर्दिष्ट वर्षों के लेखापरीक्षित तुलनपत्र 2. निर्दिष्ट वर्षों के लाभ-हानि विवरण 3. निर्दिष्ट वर्षों के आयकर रिटर्न
4	पिछले तीन वर्षों में, विक्रेता ने अपने प्रेस में प्रत्येक कार्य आदेश के अंतर्गत 1000 से अधिक प्रतियों वाले सरकारी, पीएसयू या अन्य नियमित निजी पत्रिकाओं के मुद्रण के कम से कम तीन (3) कार्य आदेश पूरे किए होने चाहिए।	कार्य आदेश की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा; कार्य के नमूने भी जमा किए जाने होंगे।
5	विक्रेता (वेंडर) को **तकनीकी बोली प्रस्ताव के साथ ₹50,000.00 (केवल पचास हजार रुपये)** की **बयाना राशि** '**सेक्रेटरी, स्पाइसेज़ बोर्ड**' के पक्ष में **डिमांड ड्राफ्ट** के रूप में जमा करनी होगी अथवा स्पाइसेज़ बोर्ड के **प्राप्ति खाते में जमा** करानी होगी। सफल विक्रेता के अंतिम चयन के पश्चात **ईएमडी वापस कर दी जाएगी।** जो **सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई)** ईएमडी से छूट का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें **उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत होने के प्रमाण के रूप में उद्यम पंजीकरण संख्या सहित उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र** संलग्न करना होगा। हालांकि, उन्हें **अनुलग्नक-III में दिए गए प्रारूप के अनुसार बोली सुरक्षा घोषणा जमा** करनी होगी।	'**सेक्रेटरी, स्पाइसेस बोर्ड**' के पक्ष में **कोच्ची में देय डिमांड ड्राफ्ट** के रूप में, अथवा निम्नलिखित बैंक खाते में राशि जमा करके: **खाता संख्या:** 7176002100002354 **खाता नाम:** स्पाइसेज़ बोर्ड रसीद खाता **बैंक का नाम:** पंजाब नेशनल बैंक **शाखा:** वेन्नला, कोच्ची **आईएफएस कोड:** PUNB0717600
6	निविदाकर्ता को पूर्व में किसी भी सरकारी संगठन द्वारा ब्लैकलिस्ट / अपंजीकृत नहीं किया गया होना चाहिए।	इस आशय का एक घोषणा-पत्र फर्म/ एजेंसी के लेटरहेड पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

7	मुख्य कर्मचारियों का अनुभव और बहुरंगी मुद्रण(मल्टीकलर प्रिंटिंग) में उत्पादन क्षमता।	मुख्य कर्मचारियों के अनुभव और उनके प्रोफ़ाइल पर संक्षिप्त विवरण संलग्न करना अनिवार्य है। मुद्रण और प्रेषण कार्यों के लिए बहुरंगी मुद्रण(मल्टीकलर प्रिंटिंग) क्षमता, साथ ही मशीनों और उपकरणों का विवरण भी प्रदान किया जाना चाहिए।

6. बोली में सम्मिलित दस्तावेज़

विक्रेता द्वारा तैयार एवं प्रस्तुत की जाने वाली **निविदा प्रस्ताव** में निम्नलिखित दस्तावेज़ सम्मिलित होने चाहिए:

1. विक्रेता/फर्म के लेटरहेड पर बोली सहमति पत्र, साथ ही विधिवत हस्ताक्षरित निविदा की प्रति।
2. बोली प्रस्तुति प्रपत्र।
3. विक्रेता प्रोफ़ाइल, जिसमें प्रयुक्त तकनीक/मशीनरी आदि की जानकारी तथा मुख्य कर्मचारियों का प्रोफ़ाइल शामिल हो।
4. निर्धारित प्रारूप में घोषणा-पत्र (अनुलग्नक-II)।
5. न्यूनतम पात्रता मानदंड को पूरा करने के लिए दस्तावेजी प्रमाण तथा/या कार्य आदेश की प्रति।
6. पंजीकरण प्रमाणपत्र / निगमित होने का प्रमाणपत्र की प्रति।
7. पैन (पीएएन) की प्रति।
8. जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति।
9. पिछले 2 (दो) वर्षों (वित्तीय वर्ष 2023-24 तथा 2024-25) की लेखापरीक्षा की गई तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि खाता की प्रति।
10. पिछले तीन आकलन वर्षों के आयकर रिटर्न की प्रति तथा फर्म के चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी प्रमाणपत्र।
11. पात्रता मानदंड के बिंदु 5 में निर्दिष्ट अनुसार बयाना राशि।

7. बोलियों का प्रस्तुतिकरण

निविदा गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस(जेम) के माध्यम से दो-कवर प्रणाली के अंतर्गत ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएगी। सभी दस्तावेज़ों को विक्रेता(वेंडर) के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधिवत स्कैन कर डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए, जैसा कि निम्नानुसार है:

7.1 तकनीकी बोली (कवर - 1)

(क) विक्रेता(वेंडर) को निविदा दस्तावेज़ में निर्दिष्ट अनुसार आवश्यक बोली दस्तावेज़ों को एक-एक करके डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित कर अपलोड करना होगा।

(ख) तकनीकी बोली कवर में अनुलग्नक-1 में दिए गए विवरण के अनुसार आवश्यक जानकारी, तथा उसमें उल्लिखित सभी सहायक दस्तावेज़ों की प्रतियाँ सम्मिलित होनी चाहिए।

(ग) विक्रेता(वेंडर) या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को सभी दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करके अपलोड करना होगा, तथा उनके सत्यापन/प्रामाणिकता की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी, साथ ही निविदा दस्तावेज़ की शर्तों और नियमों को स्वीकार करने के संबंध में घोषणा-पत्र जमा करना होगा।

(घ) विक्रेताओं को सावधान किया जाता है कि तकनीकी बोली (कवर-1) में कोई भी वित्तीय जानकारी प्रकट करने पर उनकी निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।

(ङ.) गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए गए दस्तावेज़ों को अंतिम माना जाएगा और निविदा मूल्यांकन में विचार किया जाएगा।

7.2 वित्तीय बोली (कवर - 2)

(क) केवल तकनीकी रूप से योग्य निविदाओं (जो न्यूनतम पात्रता मानदंड सफलतापूर्वक पूरा करती हैं) की **वित्तीय बोली (कवर-2)** खोली जाएगी। वित्तीय बोली **निर्दिष्ट प्रारूप में केवल ऑनलाइन** गवर्नमेंट **ई-मार्केटप्लेस (www.gem.gov.in)** के माध्यम से जमा की जाएगी। निविदा प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय मुद्रित रूप में कोई वित्तीय जानकारी प्रस्तुत नहीं की जानी चाहिए। ऐसी किसी भी स्थिति में निविदा असंवेदनशील (**unresponsive)** मानी जाएगी।

(ख) निविदा प्रक्रिया के किसी भी चरण में **विक्रेताओं को कोई भी वित्तीय या मूल्य-संबंधी जानकारी प्रस्तुत करने से सख्त मना है,** सिवाय इसके कि यह वित्तीय बोली में स्पष्ट रूप से मांगी गई हो। यदि कोई बोली तकनीकी बोली में या निविदा दस्तावेज़ में निर्दिष्ट प्रारूप के अलावा किसी अन्य रूप में वित्तीय जानकारी शामिल करती है, तो उसे **गैर-प्रतिक्रियाशील** माना जाएगा और बिना किसी आगे की समीक्षा के **अस्वीकार** कर दिया जाएगा।

(ग) यदि निविदाएं बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत नहीं की जाती हैं, तो ऐसी बोली को **तत्काल अस्वीकार** कर दिया जाएगा।

7.3 निविदा दस्तावेज़ में संशोधन

1. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पहले किसी भी समय, स्पाइसेस बोर्ड किसी भी कारण से निविदा दस्तावेज़ में शुद्धिपत्र /परिशिष्ट (Corrigendum/Addendum) जारी करके संशोधन कर सकता है।
2. उक्त शुद्धिपत्र/परिशिष्ट स्पाइसेस बोर्ड की वेबसाइट (www.indianspices.com), केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (www.eprocure.gov.in) और जेम (https://gem.gov.in/) पर प्रकाशित किया जाएगा।
3. यदि कोई शुद्धिपत्र/परिशिष्ट प्रकाशित किया जाता है, तो बोलीदाता को उसे विधिवत हस्ताक्षरित प्रति के रूप में तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत करना होगा, ताकि यह प्रमाणित हो सके कि उसने निविदा दस्तावेज़ की शर्तों एवं नियमों को पढ़कर स्वीकार किया है।

4. स्पाइसेस बोर्ड किसी भी चरण में बिना कोई कारण बताए, निविदा को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

7.4. ईएमडी (बयाना राशि जमा)

1. प्रत्येक तकनीकी बोली के साथ **₹50,000.00/- (केवल पचास हजार रुपये)** की ईएमडी संलग्न होना अनिवार्य है। यह राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी **डिमांड ड्राफ्ट** के रूप में, जो **'सचिव, स्पाइसेस बोर्ड, कोचीन'** के पक्ष में आहरित हो, प्रस्तुत की जानी चाहिए। अथवा ईएमडी निम्नलिखित बैंक खाते में भी जमा की जा सकती है–

   खाता संख्या - 7176002100002354

   खाता का नाम - स्पाइसेस बोर्ड प्राप्ति

   बैंक का नाम - पंजाब नेशनल बैंक

   शाखा - वेन्नाला , कोच्ची

   आईएफएस कोड - PUNB0717600

ईएमडी के भुगतान का प्रमाण तकनीकी बोली के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

2. ईएमडी के बिना प्रस्तुत की गई तकनीकी बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा, जब तक कि सरकार द्वारा ईएमडी के भुगतान से विशेष रूप से छूट न दी गई हो। ऐसी स्थिति में छूट के कारणों एवं उसका प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य होगा।

3. असफल बोलीदाताओं की ईएमडी राशि बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी।

4. सफल बोलीदाता की ईएमडी राशि, कार्यादेश स्वीकार होने और **परफॉर्मेंस गारंटी** जमा करने के बाद **45 दिनों के भीतर** (बिना किसी ब्याज के) वापस कर दी जाएगी, जैसा भी लागू हो।

5 . यदि बोलीदाता अपनी निविदा की वैधता अवधि के दौरान अपनी निविदा को वापस लेता है, उसमें संशोधन करता है, या किसी भी प्रकार से निविदा की शर्तों से अलग होता है, तो उसकी **ईएमडी जब्त** कर ली जाएगी।

6 . ईएमडी को एक **सीलबंद लिफाफे** में निम्नलिखित पते पर भेजा/जमा किया जाना चाहिए, ताकि वह निविदा की अंतिम तिथि और समय से पहले प्राप्त हो सके–

सहायक निदेशक (प्रचार विभाग)
स्पाइसेस बोर्ड
सुगंधा भवन
एनएच बायपास, पालारिवट्टम
कोचीन
केरल - 682025

7. जो एमएसई ईएमडी में छूट का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति और उद्यम पंजीकरण संख्या साथ में लगाना होगा, ताकि यह प्रमाणित हो सके कि वे उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर एमएसई के रूप में पंजीकृत हैं। हालांकि, उन्हें अनुलग्नक : III में दिए गए प्रारूप के अनुसार बिड सिक्योरिटी घोषणा भी जमा करनी होगी।

8. एक वेंडर केवल एक ही प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। यदि कोई वेंडर एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, तो ऐसे सभी प्रस्ताव अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। उपर्युक्त निर्दिष्ट अंतिम तिथि एवं समय के बाद प्राप्त होने वाली बोलियों को बिना किसी अतिरिक्त सूचना के अस्वीकार कर दिया जाएगा।

8. बोलियों का मूल्यांकन

स्पाइसेस बोर्ड द्वारा गठित निविदा मूल्यांकन समिति (टीईसी) तकनीकी बोलियों का विस्तृत मूल्यांकन करेगी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे निर्धारित न्यूनतम पात्रता मानदंडों के अनुरूप हैं या नहीं।

8.1. तकनीकी मूल्यांकन मानदंड

तकनीकी बोलियों के विस्तृत मूल्यांकन से पहले, स्पाइसेस बोर्ड यह निर्धारित करेगा कि प्रत्येक बोली सभी दृष्टियों से पूर्ण है या नहीं, तथा क्या उसमें आवश्यक जानकारी और दस्तावेज़ संलग्न हैं और वह निविदा दस्तावेज़ में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप है या नहीं।

1. निर्धारित तिथि और समय तक प्राप्त निविदाओं की स्पाइसेस बोर्ड द्वारा जांच की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं, इस दस्तावेज़ में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों को स्वीकार करती हैं, जिसमें बाद में होने वाले संशोधन भी शामिल हैं, यदि कोई हो, और क्या टेंडर सभी दृष्टियों से पूर्ण हैं।
2. जांच के दौरान जो निविदाएँ अस्पष्ट / निर्धारित प्रारूप में नहीं / अपूर्ण / स्पष्ट जानकारी से रहित पाई जाएँगी, उन्हें आगे की मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
3. यदि आवश्यक समझा जाए, तो स्पाइसेस बोर्ड बोलीदाता से निविदा के किसी भी पहलू पर स्पष्टीकरण मांग सकता है। यदि लिखित उत्तर मांगा जाता है, तो उसे 3 (तीन) दिनों के भीतर प्रस्तुत करना होगा। 3 (तीन) दिनों के बाद प्राप्त उत्तरों पर विचार नहीं किया जाएगा। हालाँकि, इससे आवेदक को पहले से जमा अपनी निविदा के मूल स्वरूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। स्पाइसेस बोर्ड समान प्रकार की परियोजनाओं के संबंध में आवेदकों के पूर्व प्रदर्शन का आकलन करने के लिए भी जांच कर सकता है। आवेदन में प्रस्तुत की गई अथवा बाद में प्राप्त सभी सूचनाओं को गोपनीय रखा जाएगा।

4. अंतिम चयन **वित्तीय मानदंड** के आधार पर किया जाएगा। हालांकि, तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि प्राप्त बोलियाँ पूर्ण हों, तकनीकी रूप से उत्तरदायी हों तथा निर्धारित सभी तकनीकी पात्रता मानदंडों को पूरा करती हों।

8.2 वित्तीय बोली प्रारूप

लॉट 1 क: 'स्पाइस इंडिया' पत्रिकाओं का बहुरंगी मुद्रण, जो अंग्रेज़ी, मलयालम, तमिल, कन्नड़ और हिंदी में मासिक रूप से प्रकाशित होगा, ग्लॉसी–आंतरिक पृष्ठ के लिए 90 जीएसएम आर्ट पेपर और आवरण पृष्ठ के लिए 100 जीएसएम आर्ट पेपर, कुल 32 पृष्ठ, बाइंडिंग: सेंटर स्टेपल।

पूर्ण पृष्ठ: 21.5 सेमी (ऊँचाई) × 15.5 सेमी (चौड़ाई) ब्लीड: 27.5 सेमी (ऊँचाई) × 19 सेमी (चौड़ाई)

(कृपया ध्यान दें: प्रति पत्रिका के लिए बताए गए यूनिट दर में कागज की लागत, मुद्रण, बाइंडिंग, वेस्टेज, पैकिंग और सभी अन्य अनिवार्य शुल्क शामिल होंगे।)

क्र.सं.	**मद का विवरण**	**भाषा**	**विशेषताएँ**	**यूनिट**	**अनुमानित मात्रा (प्रत्येक अंक) (क)**	**बिडर द्वारा उद्धृत इकाई दर (आईएनआर) जीएसटी सहित (ख)**	**12 अंकों के लिए कुल राशि जीएसटी सहित (ग = क × ख × 12)**
1	बहुरंगी मुद्रण(मल्टी-कलॅर) 'स्पाइस इंडिया' पत्रिका (32 पृष्ठ)	अंग्रेज़ी	आंतरिक पृष्ठ: 90 जीएसएम ग्लॉसी आर्ट; आवरण: 100 जीएसएम आर्ट; 4-कलर; बाइंडिंग निर्दिष्टानुसार	प्रति पत्रिका	1000		

2	पते लिखे हुए लिफाफों (मैसूर क्राफ्ट पेपर लिफाफा) में डालने और पिनकोड के आधार पर बंडलिंग करने के पश्चात थेवरा, एर्नाकुलम स्थित पीएसओ तक प्रेषण शुल्क	अंग्रेज़ी	शून्य	प्रति पत्रिका	800		
3	स्पाइसेज़ बोर्ड, सुगंधा भवन, पालारिवट्टम, कोच्ची-682025 के लिए प्रेषण शुल्क	अंग्रेज़ी	शून्य	प्रति पत्रिका	200		
4	बहुरंगी मुद्रण(मल्टी-कलॅर) 'स्पाइस इंडिया' पत्रिका (32 पृष्ठ)	मलयालम	आंतरिक पृष्ठ: 90 जीएसएम ग्लॉसी आर्ट; आवरण: 100 जीएसएम आर्ट; 4-कलर; बाइंडिंग निर्दिष्टानुसार	प्रति पत्रिका	500		
5	पते लिखे हुए लिफाफों (मैसूर क्राफ्ट पेपर लिफाफा) में डालने और पिनकोड के आधार पर बंडलिंग करने के पश्चात थेवरा, एर्नाकुलम स्थित पीएसओ तक प्रेषण शुल्क	मलयालम	शून्य	प्रति पत्रिका	300		
6	स्पाइसेज़ बोर्ड, सुगंधा भवन, पालारिवट्टम, कोच्ची-682025 के लिए प्रेषण शुल्क	मलयालम	शून्य	प्रति पत्रिका	200		
7	बहुरंगी मुद्रण(मल्टी-कलॅर) 'स्पाइस इंडिया' पत्रिका (32 पृष्ठ)	तमिल	आंतरिक पृष्ठ: 90 जीएसएम	प्रति पत्रिका	500		

			ग्लॉसी आर्ट; आवरण: 100 जीएसएम आर्ट; 4-कलर; बाइंडिंग निर्दिष्टानुसार				
8	पते लिखे हुए लिफाफों (मैसूर क्राफ्ट पेपर लिफाफा) में डालने और पिनकोड के आधार पर बंडलिंग करने के पश्चात थेवरा, एर्नाकुलम स्थित पीएसओ तक प्रेषण शुल्क	तमिल	शून्य	प्रति पत्रिका	300		
9	स्पाइसेज़ बोर्ड, सुगंधा भवन, पालारिवट्टम, कोच्ची-682025 के लिए प्रेषण शुल्क	तमिल	शून्य	प्रति पत्रिका	200		
10	बहुरंगी मुद्रण(मल्टी-कलॅर) 'स्पाइस इंडिया' पत्रिका (32 पृष्ठ)	कन्नड़	आंतरिक पृष्ठ: 90 जीएसएम ग्लॉसी आर्ट; आवरण: 100 जीएसएम आर्ट; 4-कलर; बाइंडिंग निर्दिष्टानुसार	प्रति पत्रिका	500		
11	पते लिखे हुए लिफाफों (मैसूर क्राफ्ट पेपर लिफाफा) में डालने और पिनकोड के आधार पर बंडलिंग करने के पश्चात थेवरा, एर्नाकुलम	कन्नड़	शून्य	प्रति पत्रिका	300		

	स्थित पीएसओ तक प्रेषण शुल्क						
12	स्पाइसेज़ बोर्ड, सुगंधा भवन, पालारिवट्टम, कोच्ची-682025 के लिए प्रेषण शुल्क	कन्नड़	शून्य	प्रति पत्रिका	200		
13	बहुरंगी मुद्रण(मल्टी-कलॅर) 'स्पाइस इंडिया' पत्रिका (32 पृष्ठ)	हिंदी	आंतरिक पृष्ठ: 90 जीएसएम ग्लॉसी आर्ट; आवरण: 100 जीएसएम आर्ट; 4-कलर; बाइंडिंग निर्दिष्टानुसार	प्रति पत्रिका	500		
14	पते लिखे हुए लिफाफों (मैसूर क्राफ्ट पेपर लिफाफा) में डालने और पिनकोड के आधार पर बंडलिंग करने के पश्चात थेवरा, एर्नाकुलम स्थित पीएसओ तक प्रेषण शुल्क	हिंदी	शून्य	प्रति पत्रिका	300		
15	स्पाइसेज़ बोर्ड, सुगंधा भवन, पालारिवट्टम, कोच्ची-682025 के लिए प्रेषण शुल्क	हिंदी	शून्य	प्रति पत्रिका	200		
	कुल **(1ग+2ग+3ग+4ग+5ग+6ग+7ग+8ग+9ग+10ग+11ग+12ग+13ग+14ग+15ग)**						

ध्यान देने योग्य बातें :

1. प्रति पत्रिका के लिए बताए गए यूनिट दर में कागज की लागत, मुद्रण, सदस्यताओं को प्रेषित करने के लिए मैसूर क्राफ्ट पेपर कवर मुद्रण की लागत, बाइंडिंग, वेस्टेज, पैकिंग, पीएसओ और स्पाइसेस बोर्ड तक प्रेषण तथा सभी अन्य अनिवार्य शुल्क शामिल होंगे।

2. दी गई मात्रा केवल संकेतात्मक है और इसमें परिवर्तन हो सकता है; भुगतान वास्तविक मुद्रित मात्रा के लिए **भाग B** में बताए गए यूनिट दरों के अनुसार किया जाएगा।
3. यदि बोर्ड को किसी पत्रिका की प्रारंभिक रूप से निर्दिष्ट मात्रा से अधिक प्रतियों की आवश्यकता होती है, तो ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को लिखित अनुरोध पर अतिरिक्त प्रतियाँ प्रदान करनी होंगी। अधिकतम 250 अतिरिक्त प्रतियों की लागत **कड़ाई से प्रो-राटा आधार पर** गणना की जाएगी, और इसके लिए वही यूनिट दरें लागू होंगी जो निविदा में मूल आवश्यक मात्रा के लिए उद्धृत की गई थीं। विक्रेता मूल उद्धृत मूल्य से प्राप्त प्रो-राटा दर से परे किसी भी अतिरिक्त शुल्क, शर्तें या न्यूनतम मात्रा की आवश्यकताएँ लागू नहीं कर सकता।
4. अनुबंध अवधि के दौरान दरों में कोई वृद्धि अनुमत नहीं होगी।

8.3 लॉट 1ख: अतिरिक्त पृष्ठों के लिए दर

कभी-कभी बोर्ड प्रत्येक पत्रिका के आंतरिक पृष्ठों (90 जीएसएम ग्लॉसी आर्ट; 4-कलर प्रोसेस) की संख्या बढ़ा सकता है, और इस स्थिति में विक्रेता प्रति पत्रिका 4 (चार) पृष्ठों के सेट के लिए अतिरिक्त पृष्ठ मुद्रण की यूनिट दर उद्धृत कर सकता है।

मद का विवरण	भाषा	विशेषताएँ	यूनिट	यूनिट दर (आईएनआर) (जीएसटी सहित)
अतिरिक्त पृष्ठ (4 पृष्ठों के सेट में)	अंग्रेज़ी	90 जीएसएम ग्लॉसी आर्ट; 4-कलर प्रोसेस	प्रति पत्रिका	
अतिरिक्त पृष्ठ (4 पृष्ठों के सेट में)	मलयालम	90 जीएसएम ग्लॉसी आर्ट; 4-कलर प्रोसेस	प्रति पत्रिका	
अतिरिक्त पृष्ठ (4 पृष्ठों के सेट में)	तमिल	90 जीएसएम ग्लॉसी आर्ट; 4-कलर प्रोसेस	प्रति पत्रिका	
अतिरिक्त पृष्ठ (4 पृष्ठों के सेट में)	कन्नड़	90 जीएसएम ग्लॉसी आर्ट; 4-कलर प्रोसेस	प्रति पत्रिका	
अतिरिक्त पृष्ठ (4 पृष्ठों के सेट में)	हिंदी	90 जीएसएम ग्लॉसी आर्ट; 4-कलर प्रोसेस	प्रति पत्रिका	

ध्यान देने योग्य बातें :

अतिरिक्त पृष्ठों के लिए उद्धृत दर (4 पृष्ठों के सेट में) अनुपातित दर से कम या उसके बराबर होनी चाहिए, जो कि लॉट 1क के क्र.सं. 01, 04, 07, 10 और 13 के लिए यूनिट दर को 8 से विभाजित करके प्राप्त की जाती है।

उदाहरण: यदि 32 पृष्ठों वाली पत्रिका के मुद्रण के लिए यूनिट दर ₹40 है, तो 4 पृष्ठों के सेट के लिए अतिरिक्त मुद्रण दर ₹5 या उससे कम होना चाहिए।

8.4. ऑनलाइन वाणिज्यिक बोली को छोड़कर निविदा के किसी भी भाग में मूल्य का उल्लेख नहीं होना चाहिए।

8.5. वित्तीय बोली में यदि अंकों में लिखी गई कीमत और शब्दों में लिखी गई कीमत में कोई अंतर पाया जाता है, तो शब्दों में लिखी गई कीमत को मान्य माना जाएगा।

8.6. मूलतः उत्तरदायी बोली(बिड): काफी हद तक उत्तरदायी बोली वह होती है, जो निविदा की सभी आवश्यकताओं, नियमों, शर्तों तथा विनिर्देशों के अनुरूप हो।

8.7. यदि कोई वेंडर बोली मूल्यांकन प्रक्रिया या निविदा मूल्यांकन समिति की बोली प्रोसेसिंग या अनुबंध प्रदान करने के निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास करता है, तो उसकी बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

8.8. निविदा मूल्यांकन समिति किसी एक या सभी बोलीदाताओं के साथ तकनीकी वार्ता या चर्चा करने का निर्णय ले सकती है। तकनीकी एवं वाणिज्यिक बोलियों के मूल्यांकन के संबंध में मूल्यांकन समिति का निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

8.9. यदि बोलीदाता निविदा/अनुबंध की शर्तों एवं नियमों से सहमत नहीं होता है, तो यह अनुबंध प्रदान किए जाने को निरस्त करने के लिए पर्याप्त आधार माना जाएगा। ऐसी स्थिति में अनुबंध को अगले सबसे अधिक उत्तरदायी बोलीदाता को प्रदान किया जा सकता है।

8.10 **अनुबंध प्रदान करना** : चयन सबसे कम बोली वाले बोलीदाता(एल1) के आधार पर किया जाएगा। लॉट 1क (1ग+2ग+3ग+4ग+5ग+6ग+7ग+8ग+9ग+10ग11ग+12ग+13ग+14ग+15ग) का कुल योग न्यूनतम उद्धृत बोली लगाने वाले का निर्धारण करने के लिए माना जाएगा और कार्य उसे प्रदान किया जाएगा।

8.10 इस निविदा से उत्पन्न कोई भी कानूनी विवाद केवल एर्नाकुलम के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आएगा।

9. नियम और शर्तें

9.1 निविदा जमा करना यह प्रमाण है कि बोलीदाता निविदा प्रक्रिया और इसके पश्चात बिडिंग प्रक्रिया की शर्तों का पालन करने के लिए सहमत है। यदि बोलीदाता किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहता है, तो उसकी बोली सरसरी तौर पर अस्वीकार की जा सकती है।

9.2 निविदा में किसी भी तथ्य का जानबूझकर गलत तरीके से बताने पर बोलीदाता को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, साथ ही स्पाइसेस बोर्ड अन्य आवश्यक कार्रवाइयाँ भी कर सकता है।

9.3 स्पाइसेस बोर्ड के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार है, और इस बारे में स्पाइसेस बोर्ड का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

9.4 बोलीदाता को अपनी **संपूर्ण प्रोफ़ाइल** जमा करनी होगी, जिसमें संगठन का विवरण, अनुभव, संगठन में तकनीकी कर्मियों की जानकारी, क्षमता और वित्तीय स्थिति इत्यादि के बारे में पूरी जानकारी दी गई हो। यह जानकारी साथ में दिए गए फॉर्म में दी जाएगी, जिसे **गोपनीय** रखा जाएगा।

9.5 केवल निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से किसी भी प्रकार की अनुबंधिक बाध्यता उत्पन्न नहीं होगी।

9.6 यदि बोलीदाता मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करता है, तो उसकी निविदा **अस्वीकृत** की जा सकती है।

9. स्पाइसेस बोर्ड को यह अधिकार है कि वह निविदाओं में दी गई जानकारी की वैधता की जांच करे और किसी भी बोली को अस्वीकार कर सकता है, यदि दी गई जानकारी गलत, असत्यापित या अनुपयुक्त प्रतीत होती है, चाहे यह जांच निविदा प्रक्रिया के दौरान, नामांकन के बाद या कार्य के आवंटन के बाद हो।

9.8 बोलीदाताओं को यह माना जाएगा कि उन्होंने–

क) निविदा दस्तावेज़ और उसके बाद किए गए संशोधन/परिशोधन (यदि कोई हो) की जांच की गई, ताकि उस पर जवाब दिया जा सके।

ख) सभी परिस्थितियों और संभावनाओं की जांच की है, जो उनकी बोली को प्रभावित कर सकती हैं, उचित जांच के माध्यम से तसल्ली कर ली है कि उनकी बोली सही और पर्याप्त है। यदि निविदा में कोई असंगति, त्रुटि या चूक पाई जाती है, तो बोलीदाता को इसे निविदा की अंतिम तिथि/समय से पहले लिखित रूप में स्पाइसेस बोर्ड को सूचित करना होगा।

9.9 निविदा प्रस्तुत करने या स्पाइसेस बोर्ड द्वारा मांगी गई प्रस्तुति से जुड़े सभी खर्च बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे। स्पाइसेस बोर्ड किसी भी खर्च के लिए जिम्मेदार या दायित्वपूर्ण नहीं होगा, चाहे प्रक्रिया का परिणाम कोई भी हो।

9.10 बोलीदाता को निविदा आवेदन में शामिल जानकारी में किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन, जिसमें उनके स्वामित्व या वित्तीय या तकनीकी क्षमता में कोई पर्याप्त बदलाव शामिल हो, के बारे में तुरंत लिखित रूप में स्पाइसेस बोर्ड को सूचित करना आवश्यक है। संबंधित दस्तावेजों की प्रतियाँ उनके सूचनाओं के साथ प्रस्तुत करनी होंगी।

9.11 चयनित या शॉर्टलिस्ट किए गए बोलीदाता को किसी भी रूप (बिना स्पाइसेस बोर्ड की पूर्व लिखित अनुमति के) में अपने नामांकन/चयन का विज्ञापन या प्रचार नहीं कर सकते।

9.12 जमा की गई बोलियों का मूल्यांकन प्रस्तुत दस्तावेज़ों के आधार पर किया जाएगा। केवल तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं का चयन किया जाएगा और वित्तीय बोली का मूल्यांकन केवल तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं के लिए किया जाएगा।

9.13 यदि बोर्ड को किसी पत्रिका की प्रारंभिक रूप से निविदा या खरीद आदेश में निर्दिष्ट मात्रा से अधिक प्रतियों की आवश्यकता होती है, तो ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को लिखित अनुरोध पर ऐसी अतिरिक्त प्रतियाँ प्रदान करनी होंगी। अधिकतम 250 अतिरिक्त प्रतियों की लागत पूरी तरह से प्रो-राटा आधार पर गणना की जाएगी, और इसके लिए वही यूनिट दर(दरें) लागू की जाएँगी जो निविदा में मूल आवश्यक मात्रा के लिए उद्धृत की गई थीं। विक्रेता मूल उद्धृत मूल्य से प्राप्त प्रो-राटा दर से परे किसी भी अतिरिक्त शुल्क, शर्तें, या न्यूनतम मात्रा की आवश्यकताएँ लागू नहीं कर सकता।

9.14 स्पाइसेस बोर्ड इस निविदा की किसी भी शर्त की **पुनः समीक्षा** करने का अधिकार रखता है।

9.15 स्पाइसेज़ बोर्ड को किसी भी समय निविदा प्रक्रिया रद्द करने का अधिकार है, और इसके लिए प्रभावित बोलीदाताओं के प्रति कोई दायित्व नहीं होगा। रद्द करने के कारण, जो स्पाइसेस बोर्ड के एकल विवेकानुसार निर्धारित होंगे, इनमें शामिल हो सकते हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

क. जिन सेवाओं पर विचार किया जा रहा है, अब उनकी ज़रूरत नहीं है

ख. अप्रत्याशित परिस्थितियों, नए विकास या अन्य कारकों के कारण कार्यक्षेत्र स्पष्ट या पर्याप्त रूप से परिभाषित नहीं है।

ग. परियोजना स्पाइसेस बोर्ड के सर्वोत्तम हित में नहीं है।

घ. कोई अन्य कारण

9.16 प्री-बिड मीटिंग आयोजित की जाएगी ताकि बोलीदाताओं के प्रश्नों का समाधान किया जा सके और इस निविदा के कार्यक्षेत्र, विनिर्देश और अन्य शर्तों पर स्पष्टीकरण प्रदान किए जा सकें। यह **मीटिंग 09 मार्च 2026 को अपराह्न 2.30 बजे हाइब्रिड मोड में होगी। 09 मार्च 2026 को अपराह्न 2.30 बजे निर्धारित प्री-बिड मीटिंग के लिए लिंक** :https://spices.webex.com/spices/j.php?MTID=mfbb6e7f2bd1f1f3dbca732868b5a3c77 **है** ।

सोमवार, 9 मार्च, 2026 अपराह्न 2:30 बजे

इच्छुक बोलीदाताओं को अपने प्रश्न और शंकाएं **6 मार्च 2026, सायं 5:30 बजे तक** ईमेल: publicity.sb-ker@spicesboard.gov.in पर भेजनी होंगी। केवल निर्धारित समय के भीतर प्राप्त प्रश्नों पर ही बैठक में चर्चा की जाएगी।

9.17 प्री-बिड मीटिंग से उत्पन्न स्पष्टीकरण और संशोधन, यदि कोई हो, लिखित परिशिष्ट/शुद्धिपत्र के रूप में जारी किए जाएंगे। यह परिशिष्ट/शुद्धिपत्र निविदा दस्तावेज़ का अविभाज्य भाग होंगे। प्री-बिड मीटिंग में अनुपस्थिति अयोग्यता का कारण नहीं होगी। हालांकि, बोलीदाताओं को जारी किए गए स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये बाध्यकारी होंगे।

9.18 इस अवधि के दौरान मूल्य वृद्धि का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि भारत सरकार/संबंधित सरकार द्वारा लागू किए गए **सांविधिक शुल्क, कर आदि** में वृद्धि हुई हो।

9.19 निविदा साफ-सुथरी स्थिति में प्रस्तुत की जानी चाहिए। सभी सुधार और ओवर-टाइपिंग को मोहर और पूर्ण हस्ताक्षर के साथ सत्यापित करना आवश्यक है। बिना हस्ताक्षर वाली बोलियाँ अस्वीकृत की जा सकती हैं।

9.20 जमा किए गए दस्तावेज़ों में कोई भी सुधार, यदि हो, तो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के पूर्ण हस्ताक्षर के साथ उचित रूप से प्रमाणीकरण किया जाना चाहिए, अन्यथा ऐसी बोलियाँ अस्वीकार की जा सकती हैं।

9.21 निष्पादन सुरक्षा (परफॉर्मेंस सिक्योरिटी), यदि लागू हो, तो निष्पादन सुरक्षा का प्रावधान निविदा के समय लागू जेम के सामान्य नियम एवं शर्तों के संबंधित प्रावधानों के अनुसार होगा। सफल विक्रेता को कुल अनुबंध मूल्य का तीन प्रतिशत (3%) से दस प्रतिशत (10%) तक की राशि,

जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, अनुबंध / क्रय आदेश जारी होने के दस (10) दिनों के भीतर निष्पादन सुरक्षा के रूप में जमा करनी होगी।

निष्पादन सुरक्षा, क्रेता के पक्ष में परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (पीबीजी) या जेम दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमत किसी अन्य साधन के रूप में प्रस्तुत की जाएगी। यह निष्पादन सुरक्षा अनुबंध अवधि के दौरान तथा उसके बाद साठ (60) दिनों की अवधि तक वैध रहेगी।

सभी संविदात्मक दायित्वों के सफलतापूर्वक पूर्ण होने और सभी वितरणयोग्य(डिलिवरेबल्स) को क्रेता द्वारा स्वीकार किए जाने के पश्चात, निष्पादन सुरक्षा बिना किसी ब्याज के विक्रेता को वापस कर दी जाएगी।

यदि किसी प्रकार का डिफॉल्ट, कार्य निष्पादन में कमी, अनुबंध का उल्लंघन, कार्य निष्पादन में विलंब, या संविदा की शर्तों का पालन न करना पाया जाता है, तो क्रेता को यह अधिकार होगा कि वह जेम के सामान्य नियम एवं शर्तों के अनुसार, बिना किसी अन्य विधिक उपायों को प्रभावित किए, निष्पादन सुरक्षा को आंशिक या पूर्ण रूप से भुना या जब्त कर सके।

10. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को समर्थन /प्राथमिकता

सरकार द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को गैर-एमएसई उद्यमों की तुलना में समर्थन प्रदान करने संबंधी नीतियाँ इस क्रय प्रक्रिया पर लागू होंगी।

1. जो एमएसई इकाइयाँ इन फायदों का लाभ लेना चाहती हैं, उन्हें उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत होने के प्रमाण के रूप में उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र तथा उद्यम पंजीकरण संख्या संलग्न करनी होगी। यह प्रमाणपत्र निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से पहले का नवीनतम होना चाहिए। एमएसई इकाइयों को बयाना(अर्नेस्ट मनी) के भुगतान से छूट दी जाएगी। हालांकि, उन्हें अनुबंध-III में दिए गए प्रारूप के अनुसार बिड सुरक्षा घोषणा जमा करनी होगी।

2. चूँकि कार्य की अपनी प्रकृति के कारण इसे विभाजित नहीं किया जा सकता, इसलिए एमएसई इकाइयों को खरीद वरीयता नहीं दी जाएगी। अर्थात यदि कोई एमएसई बोलीदाता सबसे कम बोली (एल-1) +15% के दायरे में मूल्य उद्धृत करता है और एल-1 किसी गैर-एमएसई द्वारा उद्धृत किया गया है, तो ऐसी स्थिति में एमएसई बोलीदाता यदि एल-1 मूल्य से मेल करने के लिए सहमत भी हो जाए, तब भी उसे कुल मात्रा के 25% तक कार्य आबंटित करने का अधिकार नहीं होगा। हालांकि, एल-1 +15% के दायरे में बोली देने वाला एमएसई, यदि सभी तकनीकी पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, तो उसे कार्य प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है।

11. भुगतान की शर्तें

सही समय पर कार्य पूर्ण होने के पश्चात तथा संपादक द्वारा जारी संतोषजनक रिपोर्ट के साथ, सेवा प्रदाता द्वारा मूल बिल प्रस्तुत किए जाने पर भुगतान किया जाएगा। भुगतान की व्यवस्था करने हेतु

बिल के साथ जीएसटी नंबर, टीआईएन नंबर तथा बैंक विवरण, जैसे कि चालू / बचत खाता, खाता संख्या, आईएफएससी कोड, शाखा का नाम एवं बैंक का नाम भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

सभी भुगतान केवल बैंक ट्रांसफर के माध्यम से चयनित विक्रेता के बैंक खाते में किए जाएंगे। किसी भी परिस्थिति में अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। प्रचलित कानूनों एवं नियमों के अनुसार टीडीएस तथा अन्य लागू करों जैसी सांविधिक कटौतियाँ, एजेंसी द्वारा प्रस्तुत बिलों से स्रोत पर ही काट ली जाएंगी।
सभी भुगतान मुद्रित प्रतियों और पृष्ठों की वास्तविक संख्या के आधार पर किए जाएंगे।

यदि बोर्ड को किसी पत्रिका की प्रारंभिक रूप से निविदा या खरीद आदेश में निर्दिष्ट मात्रा से अधिक प्रतियों की आवश्यकता होती है, तो ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को लिखित अनुरोध पर ऐसी अतिरिक्त प्रतियाँ प्रदान करनी होंगी। अधिकतम 250 अतिरिक्त प्रतियों की लागत पूरी तरह से प्रो-राटा आधार पर गणना की जाएगी, और इसके लिए वही दर(दरें) लागू की जाएँगी जो निविदा में मूल आवश्यक मात्रा के लिए उद्धृत की गई थीं। विक्रेता मूल उद्धृत मूल्य से प्राप्त प्रो-राटा दर से अधिक किसी भी अतिरिक्त शुल्क, शर्तों या न्यूनतम मात्रा की आवश्यकताओं को लागू नहीं कर सकता।

12. अस्वीकरण(डिस्क्लेमर)

स्पाइसेस बोर्ड उन बोलीदाताओं के प्रति, जिनकी बोलियाँ स्वीकार की जाती हैं, न तो संविदात्मक रूप से और न ही किसी अन्य प्रकार से बाध्य है। इस निविदा सूचना का जारी किया जाना स्पाइसेस बोर्ड को इस प्रक्रिया के किसी भी भाग या चरण को आगे बढ़ाने के लिए बाध्य नहीं करता। किसी भी विपरीत विधिक प्रावधान के अधीन रहते हुए तथा कानून द्वारा अनुमत अधिकतम सीमा तक, स्पाइसेस बोर्ड और उसके कर्मचारी इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी का उपयोग करने के कारण किसी भी व्यक्ति द्वारा वहन किए गए या उत्पन्न हुए किसी भी प्रकार के नुकसान, क्षति, लागत या व्यय के लिए (जिसमें लापरवाही के कारण उत्पन्न दायित्व भी शामिल है) सभी दायित्वों से स्वयं को विमुक्त घोषित करते हैं। इसमें वह स्थिति भी सम्मिलित है जहाँ ऐसी हानि या क्षति इस दस्तावेज़ में दी गई जानकारी में किसी त्रुटि, चूक या गलत प्रस्तुतीकरण के कारण उत्पन्न हुई हो, या किसी व्यक्ति द्वारा इस निविदा अनुरोध में निहित जानकारी के आधार पर कोई कार्य करने या न करने के परिणामस्वरूप हुई हो, चाहे वह हानि या क्षति स्पाइसेस बोर्ड या उसके किसी अधिकारी की किसी चूक, त्रुटि, लापरवाही या गलत प्रस्तुतीकरण से संबंधित ही क्यों न हो।

13. विवाद निपटान

क्रेता और आपूर्तिकर्ता**,** अनुबंध के अंतर्गत या उससे संबंधित उत्पन्न होने वाले किसी भी मतभेद या विवाद को प्रत्यक्ष अनौपचारिक वार्ता के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। यदि विवाद का समाधान हो जाता है**,** तो उसे निर्णय के लिए स्पाइसेस बोर्ड के सचिव को भेजा जाएगा।

14. लागू कानून और क्षेत्राधिकार

यह अनुबंध तथा इससे संबंधित सभी विषय भारत में वर्तमान में लागू प्रासंगिक विधियों (सारभूत एवं प्रक्रियात्मक दोनों) द्वारा नियंत्रित होंगे। इस अनुबंध से संबंधित किसी भी विवाद या मामले पर केवल केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम का विशिष्ट अधिकार-क्षेत्र होगा।

15. निविदा की महत्वपूर्ण तिथियां

क्रम संख्या	विवरण	तिथि	समय
1	निविदा दस्तावेज़ के **ऑनलाइन प्रकाशन / डाउनलोड की तिथि**	03 मार्च 2026	दोपहर 12:00 बजे
2	प्री-बिड बैठक की तिथि एवं बैठक का लिंक	09 मार्च 2026	अपराह्न 2.30 बजे
		https://spices.webex.com/spices/j.php?MTID=mfbb6e7f2bd1f1f3dbca732868b5a3c77 सोमवार, 9 मार्च, 2026 अपराह्न 2.30 बजे	
3	बोली जमा करने की प्रारंभ तिथि	03 मार्च 2026	दोपहर 12:00 बजे
4	बोली जमा करने की अंतिम तिथि	31 मार्च 2026	दोपहर 12:00 बजे
5	मूल ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	31 मार्च 2026	दोपहर 12:00 बजे
6	तकनीकी बोलियों को खोलने की तिथि	31 मार्च 2026	अपराह्न 12:00 बजे

****

16.	अनुलग्नक I - बोलीदाता का विवरण

क्रम संख्या	मद	बोलीदाता का जवाब	
1	मूलभूत जानकारी		
	क) संगठन का नाम		
	ख) पंजीकृत कार्यालय का पता		
	ग) केरल में कार्यालय का पता (यदि कोई हो)		
2	क) संपर्क व्यक्ति का नाम		
	ख) संपर्क व्यक्ति का फोन नंबर		
	ग) संपर्क व्यक्ति का ईमेल पता		
	घ) संगठन की वेबसाइट (यदि कोई हो)		
	ड.) व्यवसाय प्रारंभ होने का वर्ष		
	च) पैन (पीएएन)		
	छ) सेवाकर पंजीकरण संख्या / जीएसटी संख्या ।		
3	पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान वार्षिक कारोबार (लेटरहेड पर उपक्रम / चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी मूल प्रमाणपत्र अथवा लेखापरीक्षित तुलनपत्र संलग्न करें)	2023-24	2024-25
4	*पूर्ण किए गए समान कार्यों की सूची		

क्रम सं.	कार्य का नाम एवं स्थान	अनुबंध में शामिल कार्य की प्रकृति	ग्राहक का नाम और पता	ग्राहक पक्ष के अधिकारी का नाम (संपर्क नंबर सहित)	अनुबंध राशि	अनुबंध अवधि	कोई भी अन्य प्रासंगिक जानकारी
1.							
2.							
3.							

*आवश्यक होने पर अतिरिक्त पृष्ठों का उपयोग करें।

17. **अनुलग्नक ।I- घोषणा-पत्र(अंडरटेकिंग)**

मैं/ हम (नाम)____(पदनाम) का (फर्म का नाम)____________________________ इसके द्वारा यहाँ सत्यनिष्ठा से प्रमाणित और घोषणा करते हैं कि उक्त व्यक्ति / फर्म / कंपनी किसी भी सरकारी विभाग / स्वायत्त निकाय / निजी संगठन द्वारा ब्लैकलिस्टेड नहीं है। इसके अतिरिक्त, किसी भी सरकारी विभाग / स्वायत्त निकाय / निजी संगठन या न्यायालय द्वारा कोई भी मुकदमा, जाँच या कानूनी कार्यवाही लंबित या प्रारंभ नहीं की गई है।

मैं/हम(नाम)________________________________ (पदनाम) _______________________ (एजेंसी / फर्म / कंपनी का नाम) ____ ने बोर्ड की 'स्पाइस इंडिया' पत्रिकाओं और अन्य विभिन्न प्रकाशनों के मुद्रण और प्रेषण सेवाओं के लिए जारी निविदा की शर्तों और नियमों को पढ़ लिया है, समझ लिया है और इन्हें स्वीकार करते हैं।

(अधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर)

पूरा नाम: ______________________

पदनाम : ______________________

विक्रेता का नाम और पता: ______________________

मोहर / सील: ______________________

स्थान: ______________________

दिनांक : ______________________

18. अनुलग्नक: III

बोली सुरक्षा घोषणा

(कंपनी के लेटर-हेड पर)

बोलीदाता का नाम : ____

[पता और संपर्क विवरण]

बोलीदाता का संदर्भ सं.____ दिनांक.........

सेवा में,

सचिव

स्पाइसेस बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

सुगंधा भवन

पलारीवट्टोम पी.ओ.

कोचीन -25

संदर्भ: निविदा दस्तावेज़ संख्या, टेंडर नंबर/ xxxx

महोदय/महोदया

हम, नीचे हस्ताक्षरित, पूरी ईमानदारी से घोषणा करते हैं कि:

हम समझते हैं कि इस निविदा दस्तावेज़ की शर्तों के अनुसार, बोली को **बोली सुरक्षा के स्थान पर बोली सुरक्षा घोषणा** द्वारा समर्थित होना आवश्यक है।

हम इस बोली सुरक्षा घोषणा की शर्तों को बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं। हम समझते हैं कि यदि हम निविदा की शर्तों के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन करते हैं, तो इस बोली के खुलने की तिथि से 2 वर्षों तक किसी भी भविष्य की निविदा में बोली देने के लिए अपात्र हो जाएंगे, यदि हम :

1) बोली की वैधता अवधि के भीतर अपनी बोली को वापस लेना / संशोधित करना / कमज़ोर करना / कम करना; या
2) बोली वैधता के दौरान यदि हमें बोली स्वीकार किए जाने की सूचना मिलती है, तो:

    (क) जांच के लिए मूल दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने या आवश्यक **निष्पादन सुरक्षा** निर्धारित समय में प्रस्तुत करने में असफल होना या इंकार करना;

    (ख) अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में असफल होना या इनकार करना।

हमें पता है कि यह **बोली सुरक्षा घोषणा** स्वतः समाप्त हो जाएगी यदि अनुबंध हमें आबंटित नहीं किया जाता, और वह निम्नलिखित परिस्थितियों में लागू होगी:

1) हमें आपकी सूचना प्राप्त होने पर:

(क) पूरे निविदा प्रक्रिया की रद्दीकरण या सभी बोलियों के अस्वीकृति की सूचना; या
(ख) सफल बोलीदाता का नाम प्राप्त होने पर।

2) बोली की वैधता समाप्त होने के पैतालीस(**45) दिन बाद**, यदि कोई बढ़ोतरी नहीं हुई हो।

(दिनांक सहित हस्ताक्षर)
....
(नाम और पदनाम)
.... के लिए और की की ओर से बोली पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत अधिकृत।
[बोली लगाने वाले का नाम और पता और कंपनी की मुहर]

दिनांक .... दिन .... [हस्ताक्षर करने की तिथि डालें]

स्थान.. [हस्ताक्षर करने का स्थान डालें]

डीए: ....